सहकारिता विभाग

Department of Co-Operation

सहकारिता विभाग

उप आयुक्त सहकारिता छिन्दवाड़ा

सहकारिता विभाग

विभागाध्यक्ष

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी सोसायटियां, म0प्र0 विंध्याचल भवन, भोपाल	::	श्री अरूण भट्ट आई.ए.एस.
दूरभाष	::	**0755-2551513**
ई– मेल	::	**rcs_mp@yahoo.co.in**

संभाग जबलपुर

संयुक्त आयुक्त सहकारिता, एवं संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थायें जबलपुर संभाग जबलपुर	::	श्री आर.बी.बट्टी
दूरभाष	::	**0761-2480892**

जिला छिन्दवाड़ा

1. उप आयुक्त, सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थायें, छिन्दवाड़ा	::	श्री एस.एन.कोरी
2. सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें छिन्दवाड़ा	::	श्री आर.पी.केवट
3. कार्यालय का पता :–	::	डॉ.सेलट की बिल्डिंग में, बी.एस.एन.एल. ग्राहक सेवा केन्द्र के सामने, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) पिन :– 480001
4. दूरभाष क्रमांक	::	**07162-247496**
5. ई –मेल	::	**rcschi@mp.nic.in**

प्रस्तावना

सहकारिता भारतीय समाज व जीवन दर्शन का सनातन पक्ष रहा है । वैदिक काल से ही हमारे समाज का आधारभूत ढांचा सहकारिता पर आधारित है । सहकारिता सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम है ।

लोकतांत्रिक साधन के रूप में पारस्परिक सहायता पर आधारित स्वैच्छिक सहकारी संस्थाओं को संगठित कर उनका विकास करने और समाज के कमजोर वर्गों के शोषण को रोकने और उनके सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने हेतु जिले में विभिन्न स्तर पर विभिन्न प्रकार की सहकारी संस्थायें गठित की गई हैं ।

वर्तमान में सहकारिताओं से नई आर्थिक व्यवस्था में अपनी भूमिका एक मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक के रूप में प्रतिपादित की जा रही है ताकि सहकारिताएं एवं उनसे जुड़े किसानों, कारीगरों, बुनकरों, मछुआरों, दुग्ध उत्पादकों, समाज के कमजोर वर्गों एवं महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान किया जा रहा है ।

सहकारिता विभाग सीधे धनराशि व्यय करने वाला विभाग नहीं है वरन् यह विकास से जुड़ी संस्थाओं का पर्यवेक्षक एवं नियामक विभाग है, जिसका दायित्व सहकारी संस्थाओं का गठन, पंजीयन, पर्यवेक्षण, अंकेक्षण, निरीक्षण, परिसमापन एवं सुदृढ़ीकरण का है । सहकारिता वास्तव में लोकतांत्रिक साधन का एक ऐसा स्वरूप है जो पारस्परिक सहायता पर आधारित बैंकिंग संस्थाओं और स्वैच्छिक सहकारी संस्थाओं को संगठित कर उनका संस्थागत विकास करता है, ताकि वे सामान्यजन, विशेष रूप से कमजोर वर्गों के शोषण को रोकने और उनके सामाजिक व आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने का माध्यम बन सके । वैद्यनाथन कमेटी की अनुशंसाओं के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम में व्यापक संशोधन किए जाकर कृषि साख सहकारी संरचना को सशक्त व्यावसायिक आधार प्रदान किये गये हैं ।

सहकारिता विभाग का मुख्य आधार सहकारी संस्थायें हैं । वर्तमान में उनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जनोपयोगी कार्य किये जा रहे हैं । जिले में सहकारिता के आंदोलन ने अपनी अनेक कमियों के बावजूद समाज में विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े, दलित और शोषित कमजोर वर्गो के सर्वांगीण विकास के हित में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा गांव गांव में सहकारी साख सुविधा का व्यापक विस्तार किया गया है । सहकारी संस्थाओं ने कृषि उत्पादन, उत्तम खाद, उन्नत बीज, कीटनाशक वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्न वितरण, समर्थन मूल्य पर कृषि उपज खरीद, उपभोक्ता, आवास, मत्स्य, डेयरी, बुनकर, खनिज, वनोपज, बीज, उत्पादन, शिक्षा प्रशिक्षण तथा औद्योगिक इकाईयों के निर्माण एवं संचालन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका संपादित की है ।

सहकारिता विभाग के मुख्य कार्यकलाप निम्न प्रकार हैं :–

1. सहकारी संस्थाओं का पंजीयन
2. सहकारिता अधिनियम एवं संबंधित नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं का नियमन
3. सहकारी संस्थाओं का अंकेक्षण और निरीक्षण
4. सहकारी संस्थाओं का निर्वाचन
5. सहकारी संस्थाओं के विवादों का निराकरण
6. सहकारी संस्थाओं के अकार्यशील होने पर उनका परिसमापन और पंजीयन का निरस्तीकरण

विभाग के जिले में पदस्थ कर्मचारियों की संख्या :—

क्रमांक	पद का नाम	भरे पद	
		कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता छिन्दवाड़ा	कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता छिन्दवाड़ा
1	**2**		**4**
1	उप आयुक्त सहकारिता	**1**	**-**
2	सहायक आयुक्त	**-**	**1**
3	वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक	**4**	**3**
4	सहकारी निरीक्षक	**2**	**5**
5	सहकारिता विस्तार अधिकारी	**5**	**-**
6	उप अंकेक्षक	**-**	**7**
7	स्टेनो टाईपिस्ट	**-**	**1**
8	सहायक ग्रेड–1	**-**	**1**
9	सहायक ग्रेड– 2	**1**	**-**
10	सहायक ग्रेड–3	**1**	**-**
11	भृत्य	**7**	**-**
12	दफ्तरी	**-**	**-**
	योग :—	**21**	**18**

2. सहकारी संस्थाओं के पंजीयन संबंधी जानकारी :—

2[1] मध्यप्रदेश में सहकारी सोसायटियों का गठन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के प्रावधानों के अनुरूप उपविधियों का निर्माण कर, कम से कम बीस विभिन्न कुटुम्बों के सदस्य किसी भी सहकारी सोसायटी का गठन कर सकते हैं तथा उसके लिये अधिनियम की धारा 7 के अनुसार रजिस्ट्रीकरण का आवेदन कर सकते हैं । मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 में वर्णित प्रावधान अन्तर्गत सहकारी समितियों के पंजीयन हेतु 20 विभिन्न परिवारों के सदस्य जिसमें 33 प्रतिशत महिलायें शामिल होना अनिवार्य है, द्वारा विभिन्न उद्देश्यों यथा औद्योगिक, फल—फूल उत्पादक, दुग्ध उत्पादक, मत्स्य पालन, खनिज श्रमिक उत्खनन, गृह निर्माण, वनोपज, बुनकर सहकारी समितियों का गठन किया जाता है । इनमें से 10 सदस्यों द्वारा प्रथमतः उप आयुक्त सहकारिता को प्रस्तावित समिति के पंजीयन हेतु आवेदन निम्न प्रारूप में प्रस्तुत किया जा सकता है—

प्रारूप ए/क

(नियम 4 का उपनियम (1) देखिए)

संस्था के पंजीयन के लिये आवेदन— पत्र

(दो प्रतियों में प्रस्तुत करने के लिये)

1. प्रस्तावित संस्था का नाम :—...

2. पता (ग्राम, डाक खाना, ब्लाक, तहसील तथा जिला).............................

3. दायित्व का प्रकार :—..

4. कार्यक्षेत्र :—...

5. उद्देश्य :—...

6. अंश– पूंजी :–

(क) अधिकृत :– ....

(ख) विभिन्न श्रेणी के हिस्सों का मूल्य :– ....

7. व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने सदस्य के रूप में शामिल होना स्वीकार किया है.

8. आवेदन –पत्र पर प्रथम हस्ताक्षरकर्ता का पूरा नाम तथा पता :– ....

9. प्रार्थियों ने निम्नलिखित व्यक्तियों को अस्थायी कमेटी के लिये निर्वाचित किया है जो कि संस्था के पंजीयन के दिनांक से तीन महिनों तक अथवा आगे के ऐसे समय तक जैसा कि पंजीयक लिखित में स्वीकृत करे संस्था के कारोबार का संचालन करेगी –

(1) ....

(2) ....

(3) से (9)

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम 1960 (17 सन् 1961) की धारा 7 के अधीन हम, नीचे हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति, जो कि सदस्यता के निर्वाचन के लिये उपविधियां, जिनकी चार प्रतियां संलग्न हैं, के अनुरूप प्रस्तावित योग्यतायें रखते हैं, निवेदन करते हैं कि संस्था का पंजीयन किया जाय ।

हम घोषित करते हैं कि हम उपर्युक्त धारा 2 के खण्ड (झ) में परिभाषित के अनुसार कम से कम बीस विभिन्न परिवारों के हैं.

अनु. क्र मां क	नाम	पिता / पति का नाम	उम्र	धंधा	निवा स स्थान	खरीदे गये हिस्सों की संख्या	अभिदत्त हिस्सों का मूल्य	चुकाये गये हिस्सों का मूल्य	हस्ताक्षर या निशान अंगूठा	निशानी अंगूठा, यदि हो, का साक्षांकन
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**

2[2] **मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999** (**मध्यप्रदेश अधिनियम कमांक 35 सन् 1999**) सहकारिता की विरचना करने तथा सहकारी सोसायटियों को, उनकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए वित्तीय दृष्टि से सेवाओं में ऐसी लाभकारी व्यवस्था करके जो उनके द्वारा अनुभव की गई सामान्य अभ्यंतर आवश्यकता की पूर्ति करती हो, एक ऐसे आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, परस्पर सहायता प्राप्त, स्वशासी, स्वैच्छिक, लोकतांत्रिक, व्यावसायिक उद्यमों के रूप में जो सदस्यों के स्वामित्व के हों, उनके द्वारा संचालित और नियंत्रित हों, संपरिवर्तित करने के लिए तथा उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने हेतु यह अधिनियम है । इस अधिनियम के अन्तर्गत स्वायत्त सहकारिताओं का पंजीयन किया जाता है, स्वायत्त सहकारिता के पंजीयन हेतु 10 विभिन्न परिवारों के सदस्यों द्वारा आवेदन उप आयुक्त सहकारिता को किया जा सकेगा । इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत सहकारिताये अपेक्षाकृत अधिक स्वायत्त एवं स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती हैं ।

प्रवर्तक सदस्यों द्वारा उपरोक्त वर्णित अधिनियमों के अन्तर्गत प्रस्तावित समिति/सहकारिता के पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर विभाग द्वारा पंजीयन प्रस्ताव की तैयारी में मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु संगठक की नियुक्ति की जावेगी एवं आवश्यक होने पर संबंधित प्रशासकीय विभाग के अनुमोदन उपरांत समिति/सहकारिता पंजीकृत की जा सकेगी ।

सहकारिता का रजिस्ट्रीकरण :–

मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999 की धारा 4 (1) के प्रावधान अनुसार इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, गृह निर्माण सहकारिता से भिन्न ऐसी कोई सहकारिता, जो अनूसूची – "क" (आगे उल्लेखित है) में विनिर्दिष्ट सहकारिता के सिद्धांतों के अनुसार गठित की

जावेगी । सहकारिता के रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन के साथ निम्नानुसार जानकारी संलग्न की जावेगी :–

(क) अनुसूची – "क" में विनिर्दिष्ट सहकारिता सिद्वांतों के प्रति प्रतिबद्धता अभिव्यक्त करने वाले व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित मूल घोषणा । (जो कि निम्नानुसार होगी :–)

(प्रपत्र –ब)
मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999 की धारा 4 की उपधारा 5(क) के अधीन

मूल घोषणा

हम नीचे हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति जो म.प्र.स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999 एवं संस्थापित करने जा रही स्वायत्त सहकारिता की अंगीकृत उपविधियों के अनुसार सदस्यता के लिये योग्यता रखते हैं, सहकारिता के सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता अभिव्यक्त करते हैं तथा इस बाबत निम्नानुसार घोषणा करते हैं ।

1. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते हैं कि हम स्वेच्छा से एकत्र हुए व्यक्तियों का ऐसा स्वशासी संगम है जो सामान्य आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को संयुक्त स्वामित्व तथा लोकतांत्रिक तरीके से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से पूरा करेंगे ।
2. हम स्वावलंबन, उत्तरदायित्व, लोकतांत्रिक समानता, समता तथा एकता के नियमों पर चलने के लिये प्रतिबद्ध हैं । हम सभी सदस्य यह नवीन सहकारिता संस्थापित करने जा रहे हैं, ईमानदारी खुलेपन सामाजिक उत्तरदायित्व परोपकार के नैतिक मूल्यों में विश्वास करते हैं ।
3. हम सभी सदस्य जो यह नवीन सहकारिता संस्थापित करने जा रहे हैं, सहकारिता के निम्न सिद्वांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता अभिव्यक्त करते हैं –

पहला सिद्धांत – स्वच्छता तथा खुली सदस्यता

सहकारिता ऐसे व्यक्तियों के लिये मुक्त, स्वैच्छिक संगठन है जो उनकी सेवाओं का उपयोग करने में समर्थ है । और सदस्यता के उत्तरदायित्व को बिना किसी लिंग, सामाजिक जातीय, राजनैतिक या धार्मिक भेदभाव के राजामंदी से स्वीकार करते हैं ।

दूसरा सिद्धांत – सदस्यों का लोकतांत्रिक नियंत्रण

सदस्य अपने उन सदस्यों द्वारा नियंत्रित लोकतांत्रिक संगठन है जो उसकी नीतियों के निर्धारण और विनिश्चय के संधारण में सक्रिय भाग लेते हैं । प्रतिनिधियों के रूप में निर्वाचित पुरूष तथा स्त्री सदस्यता के प्रति जवाबदार है प्राथमिक सहकारिता के सदस्यों को (एक सदस्य एक मत का) समान मताधिकार प्राप्त है तथा सहकारितायें अन्य स्तरों पर भी लोकतांत्रिक रीति से संगठित होती है ।

तीसरा सिद्धांत – सदस्यों की आर्थिक भागीदारी

सदस्य अपनी सहकारिता की पूंजी में अभिदाय करते हैं तथा उसका लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रण करते हैं । उक्त पूंजी का कम से कम एक भाग सहकारिता की सार्वजनिक सम्पत्ति होती है, सदस्य प्रायः सदस्यता की शर्त के रूप में अभिदत्त पूंजी पर प्रतिकार यदि कोई हो, प्राप्त करते हैं, सदस्यगण निम्नलिखित में से किन्ही प्रयोजनों के लिये अधिशेष आवंटित करते हैं । संभवतः आरक्षित स्थापित करते उनकी सहकारिता का विकास करने के लिये, जिसका कुछ भाग अविभाज्य होगा, सदस्यों को सहकारिता में उनके संव्यवहारों के अनुपात में लाभ पहुंचना तथा सदस्यों द्वारा अनुमोदित अन्य क्रियाकलापों का समर्थन करना ।

चौथा सिद्धांत – स्वायत्तता तथा स्वाधीनता

सहकारिता अपने सदस्यों द्वारा नियंत्रित स्वशासी, आत्मनिर्भर संगठन है, यदि वे सरकार सहित दूसरे संगठनों से करार करते हैं या बाहय स्त्रोतों से पूंजी जुटाते हैं, तो वे अपने सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक नियंत्रण सुनिश्चित करने और अपने सहकारिता की स्वायत्तता बनाये रखने के लिये करते हैं ।

पांचवा सिद्धांत – शिक्षा, प्रशिक्षण तथा जानकारी

सहकारिता अपने सदस्यों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, प्रबंधकों और कर्मचारियों के लिये शिक्षा तथा प्रशिक्षण उपलब्ध करती है, जिससे वे अपनी सहकारिता के विकास में प्रभावी योगदान कर सकें। वे जन सामान्य विशिष्टः युवा वर्ग को जानकारी देते है तथा सहकारिता की प्रवृत्ति तथा फायदे के बारे में नेताओं को राय देती है।

छटवां सिद्धांत– सहकारिताओं में सहयोग

सहकारिता स्थानीय , राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों के माध्यम से कार्य करते हुए अपने सदस्यों की प्रभावाी सेवा करती है और सहकारी आंदोलन को सुदृढ़ बनाती है ।

सातवां सिद्धांत– समुदाय के लिए सरोकार

सहकारिता अपने सदस्यों द्वारा अनुमोदित नीतियों के माध्यम से अपने समुदाय के स्थिर विकास के लिए कार्य करती है ।

घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों का विवरण

क	सदस्य का नाम/ पिता /पति का नाम	वर्ग	उम्र	व्यवसाय	हस्ताक्षर
1.					

स्थान :–	संगठक के हस्ताक्षर	प्रथम हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
दिनांकः–	एवं सील	पूरा नाम व पता

(ख) सहकारिता की, आवेदकों द्वारा यथा अंगीकृत प्रस्तावित उपविधियों की मूल चार प्रतियां ।

(ग) सम्मिलन में आवेदकों द्वारा उपविधियों को अंगीकृत करने वाबद् जो संकल्प पारित किया गया है, उसकी सत्यप्रतिलिपि. (जो कि निम्नानुसार होगी :–)

प्रारूप –इ

म.प्र.स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999 की धारा 4 की उपधारा 5 (ग) के अनुसार आवेदकों द्वारा उपविधियों को अंगीकृत करने बाबद पारित संकल्प की प्रतिलिपि

1. प्रस्तावित सहकारिता का नाम :– ....
2. प्रस्तावित सहकारिता का पता :– ....
3. सहकारिता हेतु बैठक की दिनांक ....
4. बैठक का स्थान :– ....
5. बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या :– ....
6. बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का नाम :– ....

पारित संकल्प का विवरण

क	संकल्प	पारित निर्णय
1	प्रस्तावित .... स्वायत्त सहकारिता मर्यादित .... की आदर्श उपविधियों को अंगीकृत करने बाबद।	....

स्थान :–	संगठक के हस्ताक्षर	प्रथम हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
दिनांकः–	एवं सील	पूरा नाम व पता

(घ) आवेदकों के नामों की सूची उनके पूरे पते सहित :– (जो कि निम्नानुसार होगी :–)

(प्रारूप – स)

(मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999 की धारा 4 की उपधारा 5(घ)
अन्तर्गत प्रस्तावित सहकारिता के सदस्यों की सूची)

हम नीचे हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति घोषित करते हैं कि हम म.प्र. स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999 एवं हमारे द्वारा स्वायत्त सहकारिता की उपविधियों के अनुसार इस सहकारिता की सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यता रखते है तथा हम प्रस्तावित सहकारिता की आदर्श उपविधियों को अंगीकार कर प्रस्तावित सहकारिता की सदस्यता ग्रहण करते हैं । और यह भी घोषित करते हे कि म.प्र. स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999 की धारा –4 की उपधारा–2 के अनुसार हम कम से कम 10 भिन्न भिन्न परिवारो के सदस्य है । हम निवेदन करते हैं कि प्रस्तावित सहकारिता का पंजीयन किया जावे ।

क्र	नाम	पिता / पति का नाम	उम्र	व्यवसाय	निवास स्थान	खरीदे गए अंशों की संख्या	चुकाये गये हिस्सों का मूल्य	प्रवेश शुल्क	हस्ताक्षर / अंगूठा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर/ निशानी अंगूठा हमारे समक्ष किए हैं एवं सभी सदस्यगण जीवित एवं वयस्क हैं तथा भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 11 के अधीन संविदा करने के लिए सक्षम हैं, और यह भी कि सभी सदस्य भिन्न–भिन्न 10 परिवारों के सदस्य हैं तथा प्रस्तावित सहकारिता के कार्यक्षेत्र के भीतर निवास करते हैं

संगठक का प्रमाणीकरण   हस्ताक्षर प्रस्तावित सहकारिता अध्यक्ष

(ड.) धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में संगणित रजिस्ट्रीकरण फीस के भुगतान के समर्थन में कोषालय चालान की एक प्रति । (विभागीय निर्देशानुसार रजिस्ट्रीकरण फीस कुल अंशपूंजी का 01 प्रतिशत होती है)

(च) मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999 की धारा 33 (1) के प्रथम परन्तुक के अनुसार सम्प्रवर्तक बोर्ड की सूची (निदेशक मण्डल) प्रस्तुत की जावेगी ।

2[3] जिले में कुल पंजीकृत सहकारी संस्थायें/स्वायत्त सहकारितायें :– 933

वर्गवार स्थिति :– (दिनांक 11.12.2009 पर)

क्र	सहकारी संस्थायें/ सहकारितायें	पंजीकृत सहकारी संस्थायें / सहकारिताओं की संख्या (महिला सहकारी संस्थाओं/ सहकारिताओं को छोड़कर)	पंजीकृत महिला सहकारी संस्थायें/ सहकारिताओं की संख्या	योग
1	2	3	4	5
1	सहकारी शक्कर कारखाने	0	0	0
2	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक	1	0	1
3	जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	1	0	1
4	जिला सहकारी संघ	1	0	1

5	जिला वनोपज संघ	3	0	3
6	थोक उपभोक्ता भण्डार	2	0	2
7	अन्त्यवसायी सहकारी विकास संस्था	1	0	1
8	विपणन सहकारी संस्था	8	0	8
9	फल फूल साग सब्जी विपणन सहकारी संस्थायें	4	0	4
10	प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थायें	145	0	145
11	प्राथ.अकृषि साख सहकारी संस्थायें	27	0	27
12	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्थायें	105	0	105
13	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थायें	110	0	110
14	मछली पालन सहकारी संस्थायें	43	0	43
15	बुनकर सहकारी संस्थायें	74	0	74
16	प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार	90	7	97
17	खनिज/ श्रमिक/उत्खनन सहकारी संस्थायें	8	0	8
18	गृह निर्माण सहकारी संस्थायें	51	0	51
19	सहकारी प्रिंटिंग प्रेस	1	0	1
20	ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्थायें	0	0	0
21	औद्योगिक सहकारी संस्थायें	31	6	37
22	प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी संस्थायें	30	0	30
23	अन्य सहकारी संस्थायें	106	1	107
24	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्थायें	0	44	44
25	स्वायत्त सहकारितायें	30	0	30
26	स्वायत्त महिला बहुउद्देशीय सहकारितायें	0	3	3
	महायोग :–	**872**	**61**	**933**

3. जांच/अंकेक्षण/निरीक्षण :–

पंजीकृत सहकारी समिति का अधिनियम/नियम में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत जांच/अंकेक्षण/निरीक्षण किया जाता है ।

4. निर्वाचन :–

सहकारी समिति/स्वायत्त सहकारिता का कार्य संचालन पात्र सदस्यों द्वारा निर्वाचित संचालक मण्डल द्वारा संचालित किया जाता है । इसका विधिवत् निर्वाचन 5 वर्षों के लिये अधिनियम/ नियम में वर्णित प्रावधान अनुसार किया जाता है ।

5. विवाद/पंच निर्णय संबंधी न्यायालयीन कार्य :–

पंजीकृत सहकारी समितियों के संचालकों/प्रबंधक /सचिव अथवा सदस्यों के मध्य विवादों के निपटारे हेतु अधिनियम /नियम एवं विभागीय अधिसूचना के निर्देशों अनुसार न्यायालयीन कार्य विभाग द्वारा किया जाता है ।

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2008–2009 में जिले में न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण की प्रगति निम्नानुसार है :–

धारा	दि. 1–4–08 पर लंबित रहे प्रकरणों की संख्या	दि.1–4–08 से 31–3–09 तक प्राप्त प्रकरणों की संख्या	योग	दि.1–4–08 से 31–3–09 तक निराकृत प्रकरणों की संख्या	दि. 1–4–2009 पर लंबित प्रकरणों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
64	46	12	58	35	23
55 (2)	5	2	7	1	6
63 (1)	2	0	2	0	2
63 (2)	6	0	6	2	4
84 (अवार्ड)	243	0	243	64	179
85 (निष्पादन)	4401	0	4401	3057	1344
84–क	0	0	0	0	0
19–सी	2	0	2	1	1
23–कृ.ग्रा.वि. बैंक	0	1976	1976	1976	0
26–कृ.ग्रा.वि. बैंक	0	199	199	199	0
महायोग	**4705**	**2175**	**6894**	**5335**	**1559**

6. सहकारी संस्थाओं/संस्थाओं के पदाधिकारियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही :–

सहकारी संस्था अथवा निर्वाचित पदाधिकारियों द्वारा अधिनियम/ नियम/ संस्था की उपविधियों के प्रावधानों के विरूद्ध कार्य किया जाना प्रकाश में आने पर उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही विभाग द्वारा की जाती है ।

7. परिसमापन एवं पंजीयन समाप्ति :–

सहकारी संस्था द्वारा उसकी उपविधियों में विहित उद्देश्यों की पूर्ति नही हो पाने की स्थिति में संस्था को विभाग द्वारा परिसमापन (लिक्विडेशन) में लाने के आदेश किये जाते हैं तथा नियुक्त परिसमापक द्वारा संस्था की आस्ति एवं दायित्वों का निपटारा होने संबंधी अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के उपरांत विधिवत् संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जाती है ।

8. संस्थाओं का दायित्व :–

पंजीकृत सहकारी संस्थाओं/स्वायत्त सहकारितायें अपनी उपविधि में वर्णित उद्देश्यों एवं अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 एवं नियम 1962 अथवा मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999 तथा उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार

कार्य करती हैं । जिनमें संचालनकर्ता निर्वाचित संचालक मंडल, अध्यक्ष एवं प्रबंधक/सचिव द्वारा सम्पादित किया जाता है ।

9. सूचना का अधिकार :–

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत मुख्यालयीन आदेश के अनुसार कार्यालय में 12 अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार लागू कर दिया गया है एवं आवश्यक पंजीयों का संधारण किया गया है । वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशानुसार लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी निम्नानुसार नामांकित किए गए हैं । प्राप्त आवेदनों का निराकरण समय सीमा में किया गया है ।

1. कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता छिन्दवाड़ा :–

लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी
उप आयुक्त सहकारिता	श्री आनन्द चौरसिया सहायक ग्रेड–1	संयुक्त आयुक्त सहकारिता जबलपुर संभाग

2. कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता छिन्दवाड़ा :–

लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्री आर.पी.केवट सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता छिन्दवाड़ा	श्री आनन्द चौरसिया सहायक ग्रेड–1	उप आयुक्त सहकारिता छिन्दवाड़ा

3. कार्यालय का पता :–

   कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता छिन्दवाड़ा,
   डॉ.सेलट की बिल्डिंग में,
   बी.एस.एन.एल. ग्राहक सेवा केन्द्र के सामने,
   छिन्दवाड़ा (म.प्र.) – 480001

4. दूरभाष क्रमांक :– **07162-247496**

5. ई– मेल :– **rcschi@mp.nic.in**

सूचना के अधिकार के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी, सहायक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के नाम , पते, दूरभाष क्रमांक एवं सूचना लेने की प्रक्रिया की जानकारी हेतु कार्यालय में बोर्ड लगाया गया है । सूचना के अधिकार का मैनुअल 1 से 17 तक तैयार किया गया है, जिसमें कार्यालयीन कार्यव्यवहार की समस्त आवश्यक जानकारी सम्मिलित की गई है । प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार समयावधि में निराकरण किया गया है ।

3. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक :–

छिन्दवाड़ा जिले में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित छिन्दवाड़ा कार्यरत है । जिसका मुख्यालय छिन्दवाड़ा में है तथा जिले में छिन्दवाड़ा सहित विभिन्न स्थानों पर 27 शाखायें एवं 01 एक्सटेंशन काउंटर है । बैंक से सम्बद्ध प्राथमिक कृषि साख संस्थाओं के माध्यम से किसानों को अल्पावधि फसल ऋण, मध्यावधि ऋण एवं व्यापारिक साख सुविधा शाखाओं के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है ।

शाखाओं के नाम – अमानत शाखा, प्रातः एवं संख्या शाखा, कृषि शाखा छिन्दवाड़ा, गंज शाखा छिन्दवाड़ा, रोहनाकला, परासिया, कुण्डालीकला, जुन्नारदेव, दमुआ, तामिया, पाण्ढुर्ना, सिवनी, सिराठा, तिगांव, सौंसर, लोधीखेड़ा, पिपलानारायणवार, खैरीतायगांव, उमरानाला, उभेगांव, बिछुआ, चांद, कुण्डा, चौरई, बनगांव, अमरवाड़ा एवं हर्रई ।

4. जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक :–

छिन्दवाड़ा जिले में जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित छिन्दवाड़ा कार्यरत है । जिसका मुख्यालय छिन्दवाड़ा में है तथा जिले में छिन्दवाड़ा सहित विभिन्न स्थानों पर 9 शाखायें हैं । शाखाओं के द्वारा कृषि एवं अकृषि, दीर्घावधि ऋण प्रदाय किया जाता है ।

शाखाओं के नाम – छिन्दवाड़ा, परासिया, तामिया, अमरवाड़ा, चौरई, चांद, उमरानाला, सौंसर एवं पाण्ढुर्ना ।

5. विपणन सहकारी संस्थायें :–

छिन्दवाड़ा जिले में कुल 8 विपणन सहकारी समितियां – छिन्दवाड़ा, चौरई, सौंसर, पाण्ढुर्ना, तामिया, अमरवाड़ा, हर्रई एवं उमरानाला में पंजीकृत है ।

6. जिले में सहकारिता विभाग के अंतर्गत जारी योजनायें :–

1. **जनजाति सेवा समितियों को प्रबंधकीय अनुदान :–** जनजाति सेवा सहकारी संस्थाओं को उनकी आर्थिक स्थिति ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है । इस योजना के अन्तर्गत आदिमजाति सेवा सहकारी समितियों को लाभान्वित किया जाता है

2. **पी.डी.एस.गोदामों का निर्माण हेतु अनुदान :–** ग्रिड गोदाम योजना के अन्तर्गत सहकारी समितियों को गोदाम निर्माण एवं उचित मूल्य दुकानों के किराया आदि भुगतान में राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है ।

3. **वर्ष 2008–09, 2009–2010 एवं वर्ष 2010–2011** में विभिन्न योजनाओं अन्तर्गत शासन द्वारा जनजाति सेवा समितियों को प्रबंधकीय अनुदान एवं पी.डी.एस.गोदाम निर्माण हेतु सहकारी समितियों को निम्नानुसार अनुदान दिया गया है जो कि विभाग द्वारा संबंधित पात्र संस्थाओं को निम्नानुसार उपलब्ध कराया गया है :–

वर्ष	योजना का नाम	सदस्यता राशि	प्रयोजन
2008-09	जनजाति सेवा सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान	70000.00	27 समितियों को प्रबंधकीय अनुदान प्रदाय किया गया
	पी.डी.एस.गोदामों का निर्माण	400000.00	पी.डी.एस.गोदाम का निर्माण एवं उचित मूल्य दुकान वितरण केन्द्रों में किराया भुगतान हेतु राशि का प्रदाय
2009-2010	जनजाति सेवा सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान	240000.00	27 समितियों को प्रबंधकीय अनुदान प्रदाय किया गया
	पी.डी.एस.गोदामों का निर्माण	400000.00	पी.डी.एस.गोदाम का निर्माण एवं उचित मूल्य दुकान वितरण केन्द्रों में किराया भुगतान हेतु राशि का प्रदाय
2010-2011 (प्रस्तावित)	जनजाति सेवा सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान	290000.00	समितियों को प्रबंधकीय अनुदान प्रदाय किया जाना है ।
	पी.डी.एस.गोदामों का निर्माण	400000.00	पी.डी.एस.गोदाम का निर्माण एवं उचित मूल्य दुकान वितरण केन्द्रों में किराया भुगतान हेतु राशि का प्रदाय किया जाना है ।

[Last Updated on 11.12.2009]